

प्रारूप-छ (संलग्नक-6)
अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (पूर्णता (कम्प्लीशन) अनापत्ति प्रमाणपत्र)

दस्तावेजी संख्या: UPFS/2022/68381/GZP/GHAZIPUR/718/CFO

दिनांक: 11-12-2022

प्रमाणित किया जाता है कि मेसर्स **OXFORD INTERNATIONAL SCHOOL** (भवन/प्रतिष्ठान का नाम) पता **486, AWATHAHI, GHAZIPUR** तहसील - **MOHAMMADABAD**, प्लॉट एरिया **6312.41 sq.mt**, कुल कवर्ड एरिया **1676.97** (वर्ग मीटर), ब्लाकों की संख्या - **1** जिसमें

ब्लॉक/टावर	प्रत्येक ब्लाक में तलों की संख्या	वेरमेन्ट की संख्या	ऊँचाई
A	2	0	7.32 mt.

है। भवन का अधिभोग मेसर्स **OXFORD INTERNATIONAL SCHOOL** द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं, एन0बी0सी0 एवं तदसंबंधी भारतीय मानक ब्यूरो के आई0एस0 के अनुसार भवन में स्थापित करायी गयी व्यवस्थाओं का निरीक्षण **अग्निशमन अधिकारी** द्वारा दिनांक **12-12-2022** को भवन स्वामी/भवन स्वामी के प्रतिनिधि श्री **INDRASEN RAI** के साथ किया गया। भवन में अधिस्थापित अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं मानकों के अनुसार अधिस्थापित पायी गयी। अतः प्रश्नगत भवन को अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (कायर सेफ्टी सर्टिफिकेट) एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी **Educational** के अन्तर्गत वैधता तिथि **12-12-2022** से **11-12-2025** तक **3** वर्षों के लिए इस शर्त के साथ निर्गत किया जा रहा है कि भवन में नियमानुसार स्थापित सभी अग्निशमन व्यवस्थाओं का अनुरक्षण करते हुए क्रियाशील बनाये रखा जायेगा। भवन में स्थापित की गयी अग्निशमन व्यवस्थाओं में पायी गयी कमी के कारण किसी भी घटना के लिए मेसर्स **OXFORD INTERNATIONAL SCHOOL** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगी। निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र का नवीनीकरण निर्धारित समयावधि के अन्दर न कराये जाने पर निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र स्वतः ही निरस्त मान लिया जायेगा, जिसके लिए मेसर्स **OXFORD INTERNATIONAL SCHOOL** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगी।

Note : As Per FSSO Report-भवन पूर्व से निर्मित है, आवेदक द्वारा विद्यालय का मान्यता प्रमाण पत्र दिनांक- 01.04.2017 प्रस्तुत किया गया है। 1- भवन में स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं को सदैव क्रियाशील दशा में रखा जायेगा। 2- निकास मार्ग अवरोध रहित रखना अनिवार्य है। 3- प्रत्येक 03 माह पर मॉक ड्रिल कराया जाना अनिवार्य है। 4- शासनादेश संख्या- 18/छ-पु0-8-2022/905(34)/2016 टी0सी0 दिनांक- 07 जनवरी 2022 में अंकित प्रावधानों के अन्तर्गत संस्तुति।

"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों, सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। इनके अस्तित्व पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा। यह प्रमाण-पत्र अग्नि / भवन के स्वामित्व / अधिभोग को प्रमाणित नहीं करता है।"

हस्ताक्षर (निर्गमन अधिकारी)
(मुख्य अग्निशमन अधिकारी)



Digitally Signed By
(KUMAR RAMASHANKAR
TIWARI)

[E8AAAC1D4A51B53CA9D13F3DD7F4E9B511A8D6F85]

12-12-2022

निर्गत किये जाने का दिनांक : 12-12-2022
स्थान : GHAZIPUR